[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सूचना सं॰ 19/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 23 मार्च, 2020

सा.का.नि......(अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, इस अधिसूचना के प्रवृत होने की तारीख को ऐसी तारीख के रुप में अधिसूचित करती है जिससे–

(क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;

(ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंध और प्राधिकृत भागीदार; और

(ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

केन्द्रीय माल और सेवा कर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनि र्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्यांक नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमों के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत होगी।

[फा.सं. CBEC-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार